

-A-

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो

सरफेसी वाद सं०-178/2016

बैंक ऑफ इंडिया, मेन ब्रांच, सेक्टर-4 बोकारो

बनाम्

M/S Patliputra Pre-Stressed Pvt. Ltd.

—: आदेश :-

04.09.2017

प्राधिकृत पदाधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया, मेन ब्रांच, सेक्टर-4, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो द्वारा धारा 14 (1and 2) OF THE SECURITION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत M/S Patliputra Pre-Stressed Pvt. Ltd., 1. L-205 Dumrao Palace, Fraser Road, Patna, Bihar 2. IV/C-2(P), Bokaro Industrial Area, Bokaro के विरुद्ध सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप न्यायालय में उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एवं सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचना निर्गत किया गया।

निर्धारित तिथि को प्रथम पक्ष (बैंक) की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए सूचित किया गया कि विपक्षी को ऋण चुकाने का नियमानुसार पर्याप्त मौका दिए जाने के बावजूद भी ऋण नहीं चुकाया गया। अतः उन्होंने विपक्षी के Mortgage की गई सम्पत्ति पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति हेतु अनुरोध किया है।

विपक्षी सुनवाई के दौरान लगातार अनुपस्थित रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि उन्हें इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है और न ही उन्हें अपने बचाव में कुछ कहना है।

ऐसी स्थिति में प्राधिकृत पदाधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया, मेन ब्रांच, सेक्टर-4, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो द्वारा समर्पित दरतावेज में उल्लेखित सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

CC Issued Vide
No. 130 Dated 10/10/17